निर्माण श्रमिकों को मुआवजा

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को आदेश दिया कि वे दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) **के तहत निर्माण गतिविधियों के रुकने पर निर्माण श्रमिकों को मुआवजा दें, भले ही इसके लिये न्यायालय का कोई विशिष्ट निर्देश न हो।**

मुख्य बिंदु

- **क्षतिपूर्ति भुगतान:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि **मुआवजे का भुगतान श्रम उपकर** के रूप में एकत्र धनराशि से किया जाना चाहिये।
  - किसी विशिष्ट न्यायालय आदेश के अभाव में भी मुआवजा वितरित किया जाना चाहिये।
- **GRAP और वायु गुणवत्ता उपाय:**
  - प्रदूषण के स्तर पर **अंकुश लगाने** के लिये **दिल्ली-एनसीआर में औसत वायु गुणवत्ता** के आधार पर **GRAP** उपायों को लागू किया जाता है ।
  - न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में GRAP उपायों के कारण **जब भी निर्माण गतिविधियाँ रुकेंगी, तो मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिये।**
- **राज्यवार मुआवजे का विवरण:**
  - **हरियाणा ने** निम्नलिखित को मुआवजा दिया:
    - GRAP-4 के प्रथम चरण में 2,68,759 श्रमिक शामिल होंगे।
    - दूसरे चरण में 2,24,881 श्रमिक।
    - लगभग 95,000 श्रमिक जनवरी 2025 के लिये मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।
  - **दिल्ली ने** 93,272 श्रमिकों को मुआवजा वितरित किया, जबकि शेष पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।
  - **राजस्थान ने** 3,197 श्रमिकों को मुआवजा दिया।
  - **उत्तर प्रदेश ने** निम्नलिखित को मुआवजा दिया:
    - चरण 1 में 4,88,246 श्रमिक।
    - चरण 2 में 4,84,157 श्रमिक।
    - चरण 3 में 691 श्रमिक।
- **पंजीकरण और यूनियन बैठकें:**
  - अदालत ने दिल्ली सरकार को **निर्माण श्रमिकों का उचित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिये श्रमिक यूनियनों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।**
  - हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किये गए, जिनमें निम्नलिखित शामिल थे:
    - हरियाणा में 14 ज़िले
    - उत्तर प्रदेश में 8 ज़िले
    - राजस्थान में 2 ज़िले (भरतपुर और अलवर)
- **NCR राज्यों की जवाबदेही:**
  - 2 दिसंबर 2024 को अदालत ने NCR राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित होकर यह पुष्टि करने को कहा कि काम बंद होने से प्रभावित श्रमिकों को **निर्वाह भत्ता दिया गया था या नहीं।**
- **महत्त्व:**
  - यह आदेश पर्यावरणीय प्रतिबंधों के दौरान **कमज़ोर श्रमिकों के लिये मुआवजे के अधिकार को मज़बूत करता है ।**
  - यह **प्रदूषण नियंत्रण उपायों से प्रभावित श्रमिकों के लिये वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।**

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

- **परिचय:**
  - GRAP **आपातकालीन उपायों का एक समूह है, जो** दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में **एक निश्चित सीमा तक पहुँचने** के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिये लागू किया जाता है।

- एमसी मेहता बनाम भारत संघ (2016) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2016 में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया और 2017 में अधिसूचित किया गया।

- **कार्यान्वयन:**
  - वर्ष 2021 से GRAP का कार्यान्वयन **CAQM द्वारा किया जा रहा है।**
    - वर्ष 2020 तक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) राज्यों को जीआरएपी उपायों को लागू करने का आदेश देता था।
  - वर्ष 2020 में **EPCA** को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) **को स्थापित किया गया।**
  - **CAQM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)** और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा वायु गुणवत्ता और **मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भर करता है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/compensation-to-construction-workers